

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
संतकबीरनगर एवं कानपुर नगर
राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक: ३० मार्च, २०२१

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में शीतलहरी/पाला से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोर्चक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०२०-२१ में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये तथा कम्बल क्य केतु किये गये विज्ञापन में हुए व्यय के भुगतान हेतु रु० १,२७,०००/- (रु० एक लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद का नाम पत्रांक/दिनांक	आपदा मद	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1.	संतकबीरनगर पत्रांक-६८२४, दिनांक: ०८.०२.२०२१	शीतलहरी मद सं-०८	०.३७
2.	कानपुर नगर, पत्रांक-३७०, दिनांक: २३.०३.२०२१	शीतलहरी मद सं-०८	०.९०
योग			१.२७
कुल योग (रु० एक लाख सत्ताईस हजार मात्र)			

(१) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-२७ से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(२) राष्ट्रीय आपदा मोर्चक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं-३२-७/२०१४-एनडीएम-१, दिनांक: ०८.०४.२०१५ जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: ०१.०४.२०१५ से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(३) राज्य आपदा मोर्चक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(४) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369—एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक “2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्यव्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—08—शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:-677(1)/एक-10-2021-12(34)/2003 टीसी-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5— सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5
- 7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
24/3/24
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।
68